e/; izns'k jkT; ou fodkl fuxe fy-

dk;kZy; eq[;ky;

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e & 2005

iathd`r dk;kZy;

ipkuu] iape ry] ekyoh; uxj] Hkksiky

1
iLrkouk

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005

शासन प्रशासन के कार्यो में पारदर्षिता लाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया है । इस नियम के तहत लोक सम्पत्ति की सहायता से संचालित समस्त कार्यालयो/संस्थाओं में संधारित अभिलेखों को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक भारत का नागरिक अधिकृत होगा ।

प्रत्येक लोक प्राधिकरी क क्रियाकलाप में पारदर्शिता और जवाबदही उन्नत करने के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्राण के अधीन नागरिकों को सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सूचना आयोग एंव राज्य सूचना आयोग का गठन तथा सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये तथा उससे सम्बध्द विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम बनाया गया है ।

1-1 gLrifLrdk dk mnns'; A

इस हस्तपुस्तिका को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि0 भोपाल के लिये तैयार किया गया है ताकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को चाहे जाने पर कार्यालय में उपलब्ध वांछित जानकारी सुगमता से प्राप्त हो सके ।

1-2 ;g gLrifLrdk fdu 0;fDr;k@lLFkuk@lxBuk bR;kfn d fy; mi;kxh g A

यह हस्तपुस्तिका कार्यालय की कार्य प्रणाली/कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजो को जानने/प्राप्त करने के लिये इच्छुक भारत के नागरिक अथवा संस्थानों अथवा संगठनों के लिये उपयोगी होगी ।

1-3 gLrifLrdk dk ik:Ik ।

कार्यालय में संचालित किये जा रहे समस्त अभिलेखों को सूचना के अधिकार वर्ष 2005 के तहत अध्याय–2 में निर्धारित बिन्दुओं में वर्गीकृत किया गया है ।

1-4 ifjHkk"kk,¡ ¼dIk;k gLrifLrdk e i;kx djh x;h 'kCnkoyh dk ikfjHkkf"kr dj½ A

प्रस्तुत हस्तपुस्तिका में प्रयोग में लिये जाने वाली शब्दावली को सूचना अध्किार अधिनियम 2005 में परिभाषित किया गया हैं अथवा प्रयोग में लिये जाने वाली शब्दावली का अर्थ शब्दकोष में उपलब्ध है ।

1-5 gLrifLrdk e lek;kftr fo"k;k d lc/k e foLrr tkudkjh rFkk vU; tkudkfj;k d fy; lid 0;fDr A

हस्त पुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि0 पंचम तल पंचानन मालवीय नगर, भोपाल से प्राप्त की जा सकती है ।

1-6 gLrifLrdk e miyC/k tkudkjh d vfrfjDr lpuk ikIr dju dh fof/k ,o 'kYd ।

हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया एंव उनके लिये शुल्क शासन व्दारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है ।

1-6-1 vkonu dk ik:Ik

i k : l k

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रा ।
1– आवेदक का नाम ––––––––––––
2– पूरा पता/ई मेल/फेक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है ––––––
3– दूरभाष क्रमांक –––
4– आवेदन देने का दिनांक ––––––––––
5– कार्यालय का नाम ––––––––––––
6– चाही गई जानकारी का विवरण –––––––––––––––
7– क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति /प्रमाणित नमूना ।
8– आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस की फीस रूपये 10/– नगद/स्टाम्प
बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं
रसीद क्रमांक –––––––––––एंव दिनांक ––––––––––
8– आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नही ––––हां/नही
यदि हां तो बीपीएल सूची का अनुक्रमांक हस्ताक्षर

आवेदन कर्ता

टीप– यदि आवेदक व्दारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्रों पर रूपये 10/– का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वंय का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें ।

––

पावती

1– आवेदन प्राप्त होने का दिनांक ––––––––––––
2– आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3– संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी –––––– लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी व्दारा प्राधिकृत
दिनांक '–––––

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)

सूचना /अभिलेख प्राप्त करने के लिये निर्धारित शुल्क ।

1–आवेदन पत्रा के साथ 10/– रू का आवेदन शुल्क नगद अथवा नानजूडिसियल स्टाम्प के रूप में लगाना अनिवार्य हैं ।(बी.पी.एल. आवेदक से उक्त शुल्क देय नही है ।)

2–प्रथम अपील शुल्क रू. 50/– तथा द्वितीय अपील शुल्क रू 100/– नगद अथवा नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जाना है (बी.पी.एल. आवेदक को उक्त शुल्क देय नही है।)

3– इसके साथ यह स्पष्ट यिा जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उप धारा 5 के तहत फलापी/डिस्केट में जानकारी हेतु 50 रूप
ये प्रति डिस्केट/फलापी आवदक से वसूल की जावें ।

4– कई विभागों व्दारा मुद्रित रिर्पोट एंव अन्य सामग्री जानकारी प्रकाशित की जाती है ऐसे प्रकाशन के मूल्य विभाग व्दारा पूर्व से ही निर्धारित किये जाये तथा आवेदक से तदनुसार मूल्य
वसूल किये जायें । जिन प्रकाशनों का पूर्व से ही मूल्य निर्धारित है उनके लिये आवेदक से निर्धारित मूल्य वसूल किया जायें । ऐसे प्रकाशन से उद्वरण की प्राप्ति हेतु जो ए–3/ए–4 साइज के पेपर पर उपलब्ध करानी हो तो प्रति पृष्ठ पैरा 1 के अनुसार 2 रूप्ये प्रति पृष्ठ आवेदक से वसूल किये जायें ।

fuxe ds {k=h; egkic/kd dk;ky; ,o fofHkUu ifj;ktuk eMy

dzekd	ifj;kstuk eMy
	{k=h; eq[; egkic/kd dk;ky;] Hkksiky
1	fofn'kk&jk;lsu ifj;kstuk eMy] fofn'kk
2	[kMok ifj;kstuk eMy] [k.Mok
3	lhgksj ifj;kstuk eMy] lhgksj

dzekd	ifj;kstuk eMy
	{k=h; eq[; egkic/kd dk;ky;] flouh
1	fNanokMk ifj;kstuk eMy] fNanokMk
2	jkeiqj HkrkMh ifj;kstuk eMy] cSrqy
3	cj?kkV ifj;kstuk eMy] flouh
4	ykeVk ifj;kstuk eMy] ckyk?kkV

	{k=h; eq[; egkic/kd dk;ky;] tcyiqj
1	ekgxkao ifj;kstuk eMy] eMyk
2	dq.Me ifj;kstuk eMy] tcyiqj
3	mefj;k ifj;kstuk eMy] mefj;k
4	lh/kh ifj;kstuk eMy] lh/kh

fuxe ds dk;ky;ksa dk irk ,oa nwjHkk"k okcLkbV ds eq[; i"B esa n'[kk tk ldrk gA